



मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020—2021



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग



माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिला रीवा में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करते हुए



माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल द्वारा जिला बड़वानी में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करते हुए

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020—2021

मंत्रालय

माननीय मंत्री

श्री प्रेम सिंह पटेल

प्रमुख सचिव

श्री प्रतीक हजेला (IAS)

उप सचिव

श्री बूटा सिंह

विभागाध्यक्ष

संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण संचालनालय

श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (IAS)

मिशन संचालक
म.प्र.समग्र सामाजिक
सुरक्षा मिशन

श्री नंदकुमारम (IAS)

अनुक्रमाणिका

भाग – एक

1. सामान्य जानकारी	6
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....	7
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना	8
4. विभाग के दायित्व.....	10
5. विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय	12
6. विभागीय कार्यक्रम.....	14

भाग – दो

7. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....	17
---	----

भाग – तीन

8. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण	
● दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम.....	22
● सामाजिक सहायता कार्यक्रम.....	26
● समाज रक्षा कार्यक्रम	32
● नशामुक्ति / कलापथक कार्यक्रम	35
9. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम—2010	40
10. दिव्यांगजन हेतु राज्य आयुक्त	41
11. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	42

भाग – चार

12. सामान्य प्रशासनिक विषय	44
● संसदीय कार्य	
● विधि विषयक कार्य	
● सूचना का अधिकार, पदोन्नति,नियुक्ति,विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण	
13. उपलब्धियां.....	47
14. सारांश	48
15. परिशिष्ट	49

भाग - 1

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	(हजार वर्ग कि.मी.) 308
प्रशासन	
संचालनालय	1
संभागीय कार्यालय	7
जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	45
निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाएँ	20
भिक्षुक गृह	1
वृद्धाश्रम	76
नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	20
निःशक्त कल्याण की विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ	234
प्रशासकीय इकाई	
संभाग	10
जिले	52
कुल तहसील	424
राजस्व अनुभाग	255
विकास खण्ड / जनपद	313
आदिवासी विकास खण्ड / जनपद	89
कुल ग्राम	54,903
कुल ग्राम पंचायतें	23,922
कुल नगर निगम	16
कुल नगर पालिका	98
कुल नगर परिषद	294
कुल नगर / शहर	476
जनसंख्या (जनगणना 2011) (लाख में)	
कुल जनसंख्या	726.27
पुरुष	376.12
महिला	350.15
ग्रामीण	525.57
शहरी	200.70
अनुसूचित जाति	113.42
अनुसूचित जनजाति	153.17
वृद्धजन	57.13
कल्याणी	21.49
दिव्यांगजन	15.51
ट्रांसजेण्डर	0.29

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 01.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार विघटन हुआ है जिसके तहत दायित्व अन्य विभागों को तालिका अनुसार सौपे गये है :—

क्रमांक	वर्ष	पुनर्गठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ़ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	विभाग से जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को सौंपा गया।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले के महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन
9	2013	विभाग का नाम सामाजिक न्याय से परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण किया गया।

विभाग की प्रशासकीय संरचना


सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी, सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत है :— संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ—साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं शेष जिलों में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत आयुक्त निःशक्तजन कल्याण कार्यालय संचालित है साथ ही मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति एवं दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति संचालित है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढँचा



संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक— 7

जिला स्तर

उप संचालक—45

सहायक संचालक —27

सहायक संचालक तकनीकी संवर्ग—2

प्राचार्य / अधीक्षक शासकीय संस्थाएं—21

संभागीय व्यवस्थापक—6

व्याख्याता —48

परिवीक्षा अधिकारी—10

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत

समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी—427

कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड 3 — 427

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

समाज के गरीब, कमजोर, निर्धन, निराश्रित, वरिष्ठजनों, नशापीड़ितों, ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों एवं दिव्यांगों के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं के साथ—साथ इस क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने व इनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :—

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांग कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, आवास सहायता, पेंशन योजनाएं, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। इसके साथ—साथ दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं संचालित की जा रही है।

सामाजिक सहायता

प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन, वृद्ध, दिव्यांगजनों के साथ—साथ कन्याओं, कल्याणी (विधवाओं) और परित्यक्त, अविवाहित महिला को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिये पेंशन योजनाएं, विवाह सहायता/प्रोत्साहन, परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।

समाज रक्षा

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम—2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन। निराश्रित, उपेक्षित वरिष्ठजनों को संरक्षण, भरण—पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वृद्धाश्रमों का संचालन।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है। वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के समुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

अन्य कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रम अंतर्गत, नशामुक्ति अभियान, कलापथक दल, जागरूकता कार्यक्रम, ट्रांसजेण्डर कल्याण, राज्य स्तरीय पुरस्कार इत्यादि संचालित है।

विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम

अधिनियम	नियम
दिव्यांगजन	
<ul style="list-style-type: none"> ● दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ● द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 	<ul style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 —
वृद्धजन	
<ul style="list-style-type: none"> ● माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 	<ul style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2009
ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी)	
<ul style="list-style-type: none"> ● ट्रांसजेण्डर व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 	<ul style="list-style-type: none"> ट्रांसजेण्डर व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020
अन्य	
<ul style="list-style-type: none"> ● अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 ● मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 ● मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं संशोधित अधिनियम 2006 	<ul style="list-style-type: none"> मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम 1960 मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम 1977 मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020

विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-82 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्व स्वैच्छिक संस्था है। मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद/नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, नवयुवक युवतियों के लिए युवा स्वावलम्बन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स ऋण आबंटन हेतु बिना कोलेटरल गारन्टी के स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिए योजना प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश में यह नोडल एजेन्सी है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजन को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में निम्नानुसार 4 पृथक—पृथक एजेन्सियों को चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में मनोनीत किया गया है :—

- | | |
|---|--|
| 1. म.प्र.विकलांग कल्याण तथा विकास समिति | सामान्य वर्ग के लिए |
| 2. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम | अनुसूचित जाति वर्ग के लिए |
| 3. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम | आदिवासी संवर्ग के लिए |
| 4. अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए |

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-19/ 34/2003/1/4 दिनांक 4 फरवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश के निःशक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद के माध्यम से भारत सरकार की मंशा अनुरूप प्रकरण तैयार कर लक्ष्य पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्व संस्था है। यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित है। इस समिति के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, दिव्यांग समग्र पुनर्वास की कार्यवाही, सामूहिक विवाह का आयोजन इत्यादि कार्यवाहियाँ की जाती हैं।

महत्वपूर्ण दिवस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष निम्न दिवसों का आयोजन किया जाता है :—

मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2. छ: वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित एवं बहु विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
5. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री निकाह योजना
8. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना
11. दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
12. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
14. दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
15. दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
16. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
17. दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शाल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक दल-ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का प्रचार-प्रसार, जागरूकता के कार्यक्रम
19. वृद्धाश्रमों का संचालन/शतायु सम्मान

अन्य कार्यक्रम

- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
- मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम
- भिक्षुक केन्द्र का संचालन
- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों का संचालन
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)
- एडिप योजना का संचालन
- सिपडा योजना का संचालन
- अवेररनेस जनरेशन एण्ड पब्लिसिटी स्कीम (ए.जी.पी.)
- वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण
- समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRc) केन्द्रीय अनुदान योजना।
- नशामुक्ति कार्यक्रम

विभागीय पुरस्कार

- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
 - महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
 - विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार
 - नशामुक्ति ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना
-

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2020-21

(राशि रूपये लाख में)

शीर्ष/योजना	कुल बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन एवं अनुपूरक सहित	व्यय माह जनवरी 2021 तक	प्रतिशत
आयोजना (9999)			
मांग संख्या 34-2235	6097.50	4488.13	73.61
मांग संख्या 53-2235	73.00	20.75	28.42
योग (9999)	6170.50	4508.88	73.07
आयोजना			
मांग संख्या-34+53+64			
0101, 0701 एवं 0801—राज्य आयोजना सामान्य	179488.19	112509.98	62.68
0102, 0702 एवं 0802—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	66317.09	54372.41	81.99
0103, 0703 एवं 0803—अनुसूचित जाति उपयोजना	69083.62	59285.44	85.82
योग	314888.90	226167.83	71.82
कुल योग	321059.40	230676.71	71.85

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांवित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :—

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्ध, विधवा, अविवाहिता, परित्यक्त, दिव्यांग महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दों पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत-प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रेक्टिस

विभाग द्वारा अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल भोपाल के माध्यम से व्यवहार्यता (feasibility) केस स्टडी कराई गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत-प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार जेण्डर बजट दिनांक 31.01.2021 की स्थिति में निम्नानुसार है :—

(राशि लाख में)

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2020-21	जेंडर बजट का प्रतिशत	व्यय वर्ष 2020-21		हितग्राही वर्ष 2020-21	
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)						
6692—मुख्यमंत्री निकाह योजना	1159.00	100	790.00	0	1550	0
6710—मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	15000.00	100	10747.90	0	19350	0
5863—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	39201.32	100	26566.31	0	536412	0
द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)						
5859—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	7302.92	40	2016.74	3025.12	39970	59954
6690—माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	40	0.13	0.21	-	-
7084—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.17	40	1314.10	1971.16	6570	9855
8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	114353.32	40	32945.00	49417.51	627850	941777
9142—समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	118200.61	40	35677.72	53516.58	1354359	1192261
0073—अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	1170.00	40	225.34	338.01	-	-
0075—अंध मूक बधिरों को वृत्तियाँ	500.00	40	11.58	17.38	30230	45346
6693—कन्या अभिभावक पेंशन योजना	3867.47	40	1047.51	1571.27	24067	36102
तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)			0	0		
6694—कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	30	20.67	48.25	1802	4204
7083—अंत्येष्टि योजना	27.29	30	5.41	12.64	240	360
कुल	306877.81	-	111368.41	109918.13	2642400	2289859

विभागीय संचालित योजनाओं में बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2020-21

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन एवं अनुपूरक सहित वर्ष 2020-21	वित्त विभाग द्वारा कटौत्रा पश्चात् प्राप्त बंटन	जारी आवंटन	व्यय दि. 31.01.21	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	{0075}	अंध मूक बधिरो को वृत्तियाँ	500.00	500.00	215.15	28.97	5.79
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान बहु विकलांग को सहायता	1170.00 5027.76	1170.00 5027.76	797.53 4022.21	563.36 3432.90	48.15 68.28
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	52.00	52.00	32.20	8.86	17.04
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	114353.32	114353.32	92323.88	82362.52	72.02
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	5901.17	5901.17	3367.88	3285.27	55.67
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	39201.32	39201.32	29616.56	26566.31	67.77
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	7302.92	7302.92	5979.92	5041.87	69.04
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना	15000.00	15000.00	12010.50	10747.90	71.65
9	{9142}	सामाजिक सुरक्षा पेशन	118200.61	102633.66	89874.97	89194.31	75.46
10	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्यालय वेतन	25.14	25.14	18.99	10.46	41.61
11	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
12	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	155.56	155.56	74.92	62.17	39.97
13	{0079}	दृष्टि, श्रवण बाधि. शालायें तथा संस्थायें	1816.86	1816.86	1429.42	1218.08	67.04
14	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
15	{6686}	वृद्धजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
16	{6688}	नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्था.	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
17	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	8.30	8.30	1.66	0.34	4.10
18	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
19	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	1159.00	1159.00	1159.00	790.00	68.16
20	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	3867.47	3867.47	3093.97	2618.79	67.71
21	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	186.41	186.41	138.19	68.93	36.98
22	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	27.29	27.29	19.89	18.06	66.18
23	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड. / बी.पी.एड	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00
24	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई.प्रशिक्षण	200.05	200.05	30.71	27.89	13.94
25	{7569}	निःशक्तजनों को बाधारहित वातावरण	295.49	200.00	200.00	120.84	40.89
26	{9477}	नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना	247.00	247.00	80.00	0.00	0.00
27	{9472}	ट्रांसजेण्डर का कल्याण एवं पुनर्वास	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
28	{9642}	वरिष्ठजनों का कल्याण कार्यक्रम	150.00	150.00	4.13	0.00	0.00
29	{5389}	वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30	{2304}	निर्देशन और प्रशासन	4723.17	4723.17	3655.70	3518.77	74.50
31	{3098}	भिक्षुक प्रवेश केन्द्र तथा कर्मशाला	32.54	32.54	24.76	23.17	71.20
32	{0795}	कलापथक	897.70	897.70	656.63	632.72	70.48
33	{1985}	दूरदर्शन कार्यक्रम	379.26	379.26	275.24	266.38	70.24
34	{5258}	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	64.82	64.82	50.10	47.09	72.65
35	{2245}	नशाबंदी कार्यक्रम	73.00	73.00	28.66	20.75	28.42
36	{9470}	महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा पुरस्कार	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		योग	321059.40	305396.96	249182.77	230676.71	71.85

भाग - 3

विभागीय कार्यक्रम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रदेश में प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में 234 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से सहायक अनुदान योजनांतर्गत 37 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची परिशिष्ट में।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षण—प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2020–21 में रूपये 1170.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध जनवरी 2021 तक 563.36 लाख व्यय किया गया।

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण—प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित रु. 646.54 लाख के सहायक अनुदान संबंधी 19 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2020–21 में रूपये 64.82 लाख का बजट प्रावधान अंतर्गत जनवरी 2021 तक 47.09 लाख का व्यय किया गया। 108 कुष्ठ परिवार लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांग पेंशन योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
2. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो एवं परिवार आयकरदाता न हो, उनको प्रतिमाह रूपये 600/- की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी एवं बहुविकलांग को रूपये 600/- (रूपये छः सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत माह जनवरी 2021 तक 75,756 दिव्यांगजन लाभांवित हुये हैं।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रूपये 51,000/- अतिरिक्त सहायता दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 765 हितग्राही लाभांवित हुये हैं।

दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन

दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से राज्य द्वारा ठोल फ्री दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800-233-4397 निरंतर संचालित है, केन्द्र सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन नम्बर 1800- 233- 5956 प्रारंभ किया है।

विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राही

क्र.	योजना	हितग्राही		
		वित्तीय वर्ष 2018–19 में मार्च 2019 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनवरी 2021 की स्थिति में
1	छात्रवृत्ति	48,695	34,334	23,754
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना ● लेपटाप वितरण ● मोट्रेट साईकिल वितरण	336 555	118 439	31 850
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	169	77	3
4	छात्रगृह योजना(आवास सहायता योजना)	81	122	0
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	19	05	01
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	13,470	5,065	6006
7	दिव्यांग पेंशन	3,62,585	4,62,421	5,45,560
8	ऑटिज्म, सेरेबल पॉलसी, मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगों को सहायता	74,005	75,514	75,756
9	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	1282	1118	765
10	यूडीआईडी कार्ड	3,06,979	371401	5,66,912

यूडीआईडी कार्ड जनरेट करने में देश में प्रदेश का स्थान द्वितीय सितम्बर 2020 से निरंतर है।

दिव्यांग विवाह में वर्षावार लाभांवित हितग्राही एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008–09	103	25.75
2009–10	207	53.00
2010–11	738	144.82
2011–12	1141	286.96
2012–13	1775	369.77
2013–14	1514	498.50
2014–15	779	214.50
2015–16	1058	599.50
2016–17	1267	735.50
2017–18	1321	1016.50
2018–19	1282	1930.00
2019–20	1118	1962.50
2020–21 (जनवरी 2021)	765	1304.00
योग	13068	9141.30

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में रूपये 41.60 लाख का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 की गाईडलाईन का ध्यान रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु 57 दृष्टिबाधित तथा 79 श्रवण बाधितों को इस प्रकार कुल 139 निःशक्तजनों को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में श्रवण बाधितों हेतु 6 Interpreters की व्यवस्था की गई।

इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, फैशन डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री	पात्रता शर्तें
दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मंदबुद्धि	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता)	मोट्रेट ट्रायसिकल (बैटरी चलित)	10 वीं प्रथमबार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार)

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्यक्रम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है :—

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रूपये 200/- केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 400/- (राज्यांश) इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रूपये 500/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 100/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में जनवरी 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड़ में

वित्तीय वर्ष 2020–21				
बजट प्रावधान	व्यय			हितग्राही
	बजट से	निराश्रित निधि	कुल	
1143.53	823.63	118.31	941.94	15,69,627

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 5,92,006 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 5,92,006 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की राशि का भुगतान राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में जनवरी 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड़ में

वित्तीय वर्ष 2020–21				
बजट प्रावधान	व्यय			हितग्राही
	बजट से	निराश्रित निधि	कुल	
392.01	265.66	51.32	316.98	5,36,412

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 4,59,162 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 4,59,162 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की राशि का भुगतान राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत या अधिक हो, को प्रतिमाह राशि रूपये 300/- केन्द्रांश एवं राशि रूपये 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड में

वित्तीय वर्ष 2020-21				
बजट प्रावधान	व्यय			हितग्राही
	बजट से	निराश्रित निधि	कुल	
73.03	50.42	8.62	59.04	99,924

इस योजना में निर्धारित पात्रता के अनुसार 6,622 अन्य हितग्राही भी पात्र पाये गये हैं किन्तु भारत सरकार की कैप निर्धारित होने की वजह से इन 6,622 हितग्राहियों के मासिक पेंशन की राशि का भुगतान राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री / पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि रूपये करोड में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-2021	59.01	32.85	16,425

प्रदेश सरकार के कार्यक्रम

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

पात्रता के मापदण्ड

क्र.	श्रेणी	हितग्राही
1	60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध	8,91,932
2	18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी), जो आयकरदाता न हो	12,79,374
3	50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता, जो आयकरदाता न हो	2,027
4	18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो	34,221
5	6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक एवं आयकरदाता न हो	3,69,880
6	वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।	251
	कुल	25,77,685

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला बड़वानी में नेत्र संक्रमित 56 हितग्राहियों को रूपये 5000/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदाय की जा रही है।

योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में माह जनवरी 2021 की स्थिति में व्यय, हितग्राहियों व बजट प्रावधान की जानकारी तालिका अनुसार है :—

राशि करोड़ में

वित्तीय वर्ष 2020-21				
बजट प्रावधान	व्यय			हितग्राही
	बजट से	निराश्रित निधि	कुल	
898.75	891.95	412.49	1304.44	25,77,685

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, तथा आयकरदाता न हो ऐसे हितग्राही को राशि रूपये 600/- प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जाती है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह जनवरी 2021 की स्थिति में व्यय, हितग्राहियों व बजट प्रावधान की जानकारी तालिका अनुसार है :—

राशि करोड में

वित्तीय वर्ष 2020-21				
बजट प्रावधान	व्यय			हितग्राही
	बजट से	निराश्रित निधि	कुल	
38.67	26.19	9.06	35.25	60,539

छ: वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग एवं बहुविकलांगों को आर्थिक सहायता

यह योजना प्रदेश में 18.06.2009 से प्रभावशील है। मध्यप्रदेश के सभी छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है।

योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

राशि करोड में				
वित्तीय वर्ष 2020-21				
बजट प्रावधान	व्यय			हितग्राही
	बजट से	निराश्रित निधि	कुल	
50.28	34.33	10.71	45.04	75,756

अन्त्येष्टि सहायता योजना

योजना 13 अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य होने पर एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :—

(राशि करोड में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-2021	0.27	0.18	600

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता

शासन आदेश क्रमांक/एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल दिनांक 14.01.2019 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं :—

- योजनांतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थित अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000/-संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में इस प्रकार कुल राशि रूपये 51000/- प्रति कन्या प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन नहीं है।
- आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में कन्या विवाह सहायता राशि दी जाये।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से जनवरी 2021 तक कुल 5,42,805 कन्याओं के विवाह संपन्न कराया जाकर राशि रूपये 119602.53 लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत वर्षवार आवंटन, व्यय एवं लाभांशित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार तालिका में वर्णित है :—

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	44,835
2016-2017	15436.81	11204.87	44,818
2017-2018	15000.00	9644.88	34,446
2018-2019	15000.00	14999.53	50,154
2019-2020	31506.17	20291.25	42,088
2020-2021 (जनवरी 2021)	15000.00	10748.00	19,350
कुल	158956.98	119602.53	5,42,805

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को वर्ष 2021 के कैलेण्डर की कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये 51,000/- प्रदान की जाती है। जिसमें 48000 रूपये कन्या के बचत खाते में तथा 3000 रूपये आयोजक के खाते में जमा कराये जाते हैं।

मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012–2013	200.00	260.90	1,766
2013–2014	800.00	474.60	2,579
2014–2015	200.00	123.25	1,248
2015–2016	500.00	381.31	2,139
2016–2017	900.00	329.47	1,666
2017–2018	1000.00	470.75	1,681
2018–2019	900.00	755.72	2,265
2019–2020	1659.37	1015.73	3,049
2020–2021 (जनवरी 2021)	1159.00	791.00	1,550
कुल	7318.37	4602.73	17,943

मुख्यमंत्री निकाह योजना का वर्ष 2021 के कैलेण्डर की कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शासन के पत्र क्रमांक एफ/3–5/2018/26–2 भोपाल दिनांक 03.05.2018 से प्रदेश में प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणी जो आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, को विवाह सहायता हेतु राशि रूपये 2,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनवरी 2021 तक 600 हितग्राहियों को राशि रूपये 12.00 करोड़ से लाभांवित किया जा चुका है।

कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह सहायता योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

समाज रक्षा

वृद्धाश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये प्रदेश में वृद्धाश्रमों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में उपेक्षित, निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भरण-पोषण, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार एवं मनोरंजन व पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वरिष्ठजनों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील हैं। अधिनियम के अध्याय—3 में धारा—19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान नीहित है।

प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के माध्यम से **76 वृद्धाश्रम संचालित** हैं। संस्थाओं को निराश्रित निधि से अनुदान दिया जाता है। सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRc)

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRc) योजना अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण व संचालन, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिये सतत देखभाल गृह, फिजियोथेरेपी विलनिक, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रम, वरिष्ठजनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 से प्रभावशील।

- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय भरण—पोषण अधिकरण घोषित है।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अपील अधिकरण घोषित है।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित घोषित है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आयु अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता—पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिकरणों द्वारा निराकृत प्रकरण

- समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में गठित भरण—पोषण अधिकरण में कुल 170 प्रकरण दर्ज जिसमें से 149 निराकृत एवं 21 लंबित।
- जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट अपील अधिकरणों में कुल दर्ज प्रकरण 15 जिसमें से 09 निराकृत एवं 06 लंबित।

मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (संशोधन)

- मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 का नियम 21 में उप नियम (2) जोड़कर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिषद् का गठन किया गया है।
- माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में ‘म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता—पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- काटकर, भरण—पोषण भत्ता, आवेदक माता—पिता के बैंक खातों में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय वरिष्ठजन हेल्प लाईन

वरिष्ठजनों हेतु टोल फ़ी हेल्प लाईन नम्बर 14567 हेल्प एज इंडिया शाखा भोपाल के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वरिष्ठजनों को आपातकालीन जैसे दुर्घटना, दुर्व्यवहार से बचाव की स्थिति में सेवा प्रदान की जाती है, यह सेवा बुजुर्गों की सहायता हेतु 24 घण्टे उपलब्ध है।

पेड ओल्ड एज होम की स्थापना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा भोपाल में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पेड ओल्ड एज होम का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 100 वरिष्ठजनों को रहने की सुविधा होगी। पेड ओल्ड एज होम में आर्थिक रूप से सक्षम एकाकी वरिष्ठजन जिनके बच्चे साथ नहीं रहते, को सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है। जिसमें वातानूकूलित कक्ष, लायब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, फिजीयोथेरेपी कक्ष, मेडीकल स्टोर, ए.टी.एम. जैसी अनेक सुविधाएँ होगी। पेड ओल्ड एज होम लिंक रोड नम्बर 3 पर पांच एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 10.83 करोड़ होगी।

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार-प्रसार के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस', 26 जून 'अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस' 2 से 8 अक्टूबर 'मद्य निषेध सप्ताह' तथा 30 जनवरी को 'संकल्प दिवस' का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 के तहत जारी गाइड लाइन के दृष्टिगत ऑन लाइन भाषण प्रतियोगिताएं, वर्चुअल व्याख्यान, वेबीनार, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर संदेश आदि कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 202 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत हैं। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 20 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र (IRCA) संचालित है।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नशीली दवा की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना अंतर्गत दिनांक 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक "नशामुक्त भारत अभियान" देश के 272 जिलों में आरम्भ किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश के 15 जिले यथा भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, दतिया, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सतना, एवं छिन्दवाडा सम्मिलित किये गये हैं।

नशामुक्ति अभियान

“नशामुक्ति अभियान” का क्रियान्वयन संपूर्ण मध्यप्रदेश में किया जाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य विभाग स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, उद्योग, कृषि, श्रम, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति, गृह, आबकारी, जनसम्पर्क विभाग एवं जन अभियान परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विशेषकर महिला स्वःसहायता समूह, जन-प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी एवं अशासकीय संस्थाओं तथा अन्य सभी समुदायों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर नशामुक्ति अभियान को जन-जन में जागरूकता लाने हेतु चलाया जायेगा।

नशामुक्ति अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति में जिला समिति का गठन, निकाय स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में निकाय समिति का गठन किया जायेगा। अभियान अंतर्गत जिलों के विभिन्न विभागों के 408 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देकर नशामुक्ति अभियान अंतर्गत जनजागृति के वृहद कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं।



“52190”

नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ का

विश्व कीर्तिमान

जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, रतलाम (म.प्र.)

समन्वय- मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जिला रतलाम (म.प्र.)

कलापथक कार्यक्रम

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलों में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते हैं। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।



अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।


भिक्षावृति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1973 प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 3.2.2018 से प्रभावशील है। प्रदेश में एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2020–21 में कुल 17 भिक्षुकों को लाभांवित किया गया।

ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019

ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम 2019 दिनांक 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाना, इस हेतु भारत सरकार के पोर्टल <http://transgender.dosje.gov.in> पर सीधे आवेदन किया जा सकता।

देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.01.2021 को ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया है।



प्रदेश में 22 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये गये हैं तथा 26 जनवरी 2021 की विशेष ग्राम सभाओं में उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम सभा में इस एजेण्डा को शामिल किया गया है।

पुरस्कार योजनाएं

नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

योजना 16 फरवरी 2018 से प्रारंभ है। प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध तथा महिलाएं नशामुक्त जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत को नशामुक्ति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार राशि रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र (प्रति जिला प्रति पंचायत) दिया जाता है।

योजना के लाभ हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से निर्णायक मण्डल द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत का चयन पुरस्कार हेतु किया जाता है। चयनित ग्राम पंचायत को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार राशि व प्रशंसा पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। नशामुक्ति की दशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी/स्वैच्छिक संगठन को विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रूपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रूपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8.2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक—पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रूपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रित निर्धन, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं/संस्थाओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं महिमा मंडित करने के उद्देश्य के तहत राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 10 लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

नोट :- कोविड-19 के दृष्टिगत इस वर्ष पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2010 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न विभागों की सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी तथा निश्चित की गई समय-सीमा को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 3 अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की निम्नलिखित सेवाएं अधिसूचित हैं :—

क्र.	सेवा क्रमांक	सेवाएं
1	7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
2	7.2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
3	7.3	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
4	7.4	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय
5	7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना
6	7.6	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय
7	7.7	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन ब) गैर-सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना
8	7.8	मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन
9	7.9	मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
10	7.10	निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
11	7.11	मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना
12	7.12	छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
13	7.13	निःशक्त विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
14	7.14	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

आयुक्त निःशक्तजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में श्री संदीप रजक, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ है।

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश को अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कृत्य निम्नानुसार है :—

- स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकों उपायों की सिफारिश करेगा,
- स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से बंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले उठायेगा,
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की समीक्षा करेगा,
- उन कारकों का पुर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा,
- दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करेगा, और
- ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

अधिनियम की धारा 82 के अनुसार आयुक्त निःशक्तजन की शक्तियां

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना,
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना,
- (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और
- (ड) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

दिव्यांगजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कार्यालय में 151 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से 56 प्रकरण निराकृत एवं 95 प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश द्वारा जिला डिप्टोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सीहोर, बड़वानी, सिवनी, धार, रायसेन, शहडोल, मण्डला, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन एवं सतना में एडव्होकेसी / समीक्षा बैठक की गई।

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पात्रता से अधिकारिता की ओर बढ़ते कदम...



राज्य शासन के विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करने एवं सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकृत पटल की स्थापना के उद्देश्य हेतु मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को 'संकल्प क्रमांक-37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम' पारित किया गया तथा 30 अप्रैल 2012 को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों व सदस्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया गया। समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, दिव्यांगजनों के साथ-साथ कन्याओं, कल्याणियों और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि— पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ1-8 / 2016 / एक(1) भोपाल, दिनांक 04 / 09 / 2020 में समग्र डेटाबेस तथा एप्लिकेशन के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है :—

1. समग्र डेटाबेस तथा एप्लिकेशन का संधारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाये।
2. समग्र डेटाबेस को अन्य डेटाबेस की सहायता से और समृद्ध एवं उपयोगी बनाया जाये।

भाग - 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जनवरी 2021 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :—

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
83	80	3

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त / संचालक	आई.ए.एस.	1
2	मिशन संचालक	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	18
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	45
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	27
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1

8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ श्रवण बाधितार्थ तथा मूक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राजकीय अस्थिबाधित कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधित बालगृह इंदौर तथा बैतूल	द्वितीय श्रेणी	2
14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427
20	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड 3	तृतीय श्रेणी (संविदा)	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं हुई है।

नवीन नियुक्ति

वर्ष के दौरान 93 नवीन नियुक्ति हुई है।

समयमान वेतनमान

वर्ष 2020-21 में विभाग के 23 अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदान किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष के दौरान 08 अनुकम्पा नियुक्ति हुई है।

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2020 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	1 जनवरी 2021 अंत तक लंबित प्रकरण
--------	------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------

शासन स्तर

प्रथम श्रेणी	6	0	3	3
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–

संचालनालय श्रेणी

प्रथम श्रेणी	–	–	–	–
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–
तृतीय श्रेणी	2	–	2	–
चतुर्थ श्रेणी	1	–	–	1

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2020 तक की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
85	5	90

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	जनवरी 2021 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
31	5	6	30

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2020 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	जनवरी 2021 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरुद्ध अपील / विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत / प्रस्तावित है।	अवमान ना प्रकरणों की संख्या
6	4	2	3	2	4

पुरस्कार वर्ष 2020-21

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर विभागीय झांकी

26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर विभागीय झांकी समारोह में सम्मिलित सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की झांकी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस वर्ष झांकी की थीम आत्मनिर्भर दिव्यांगजन पर आधारित थी।



26 जनवरी 2021 को विभाग की झांकी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हुये प्रमुख सचिव, श्री प्रतीक हजेला एवं अधिकारीगण

सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से **49.19 लाख** से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह एवं कल्याणी विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से जनवरी 2021 तक **5.61 लाख** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम 2019 दिनांक 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाना। प्रदेश में 22 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये गये हैं।
5. इस तरह समाज के कमज़ोर वर्ग, निराश्रित, दिव्यांगजन, वरिष्ठजन, कल्याणी, अविवाहिता और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत् शासकीय संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम
1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
2	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
4	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
5	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
6	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
7	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
8	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
9	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
10	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
11	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल
12	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
13	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर(बालक / बालिका)
15	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक / बालिका)
16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक / बालिका)
17	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक / बालिका)
18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक / बालिका)
19	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक / बालिका)
20	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक / बालिका)

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र.	जिले का नाम	कुल संस्था	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता
1	2	3	4
1	ग्वालियर	1	1. मांधव अंधाश्रम, ग्वालियर, 2. म0प्र0 मूक बधिर कल्याण संस्था ग्वालियर.
2	शिवपुरी	3	1.मंगलम शिवपुरी
3	देवास	4	1. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा देवास
4	रतलाम	5	1.जनचेतना परिषद मंद एवं मूक बधिर विद्यालय जिला रतलाम
5	उज्जैन	6	1.उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा संचालित सेवांजलि विद्यालय 7 2.अपंग सेवा आश्रम उज्जैन
6	इंदौर	8	1.मूक बधिर संगठन स्कीम नं. 71 रंजीत हनुमान के पीछे इंदौर 9 2. गूंगे बहरो का निःशुल्क स्कूल एम0ओ0जी0 लाईन इंदौर 10 3. अंध मूक बधिर विद्यालय जीवन दीप कालोनी इंदौर 11 4. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर किला मैदान 12 5. महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर बाब्बे अस्पताल के पास इंदौर 13 6. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ बाब्बे अस्पताल के पास इंदौर 14 7. रोटरी पांल हैरिस स्कूल बाब्बे अस्पताल के पास स्किम नं. 54 इंदौर 15 8. विकलांग कल्याण संघ इंदौर सुखलिया चन्द्रगुप्त चौराहा इंदौर 16 9. महात्मा गांधी संस्थान नवलखा बंगाली क्लब के पास इंदौर 17 10. कुष्ठ सेवा संस्थान इंदौर
7	झाबुआ	18	1.करुणा सदन कुष्ठ निवारण संस्था राणापुर
8	अलीराजपुर	19	1.चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र जिला अलीराजपुर
9	बड़वानी	20	1. श्री कांता विकलांग टस्ट झांकर निवाली जिला बड़वानी 21 2. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बड़वानी
10	खण्डवा	22	1. श्रीमती सावित्री बाई झंवर सेवा न्यास जिला खण्डवा
11	भोपाल	23	1. दृष्टिहीन कल्याण संघ शिवाजीनगर भोपाल 24 2. नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड सांकेत नगर भोपाल 25 3.मेरियन सोसायटी आशा निकेतन बधिर उ0मा0वि0 अरेरा कालोनी भोपाल 26 4.मेरियम स्कूल फॉर द मेटली हेण्डीकैप्ड अरेरा कालोनी भोपाल 27 6.शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति कोहेफिजा भोपाल 28 7.दिर्दिर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल 29 8.महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम भोपाल
12	विदिशा	30	1.सूरज निकेतन विशेष स्कूल, शिवकल्याण एवं शिक्षण समिति विदिशा
13	बैतूल	31	1.दृष्टिहीनों की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पाठर जिला बैतूल
14	छतरपुर	32	1.प्रगतिशील विकलांग संसार चौबे नर्सिंग हास्पिटल के पास छतरपुर
15	दमोह	33	1.अनंत मूक बधिर विद्यालय दमोह
16	जबलपुर	34	1. चेतना विकलांग सेवा भारती शासकीय प्राथमिक शाला परिसर जबलपुर 35 2. स्नेह निकेतन थाना गौरखपुर के पासं जबलपुर
17	रीवा	36	1.अशासकीय नेत्रहीन एवं विकलांग उ0मा0विद्यालय तोपखाना रीवा
18	सीधी	37	1. गुरुकूल संस्कृति शिक्षा समिति विवेकानंद विकलांग आश्रम सीधी द्वारा संचालित विवेकानंद विकलांग आवसीय विद्यालय सीधी

दिव्यांगता के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि से अनुदान/सहायता प्राप्त संचालित संस्थाओं की जानकारी

जिला	क्र.	संस्था का नाम
इंदौर	1	संस्था संवेदना बौद्धिक विकास केन्द्र महू इंदौर
	2	ज्योतिर्मय सेवा समिति बडवाह, खरगोन
	3	मॉ. ऊ. नर्मदा सेवा समिति बडवाह, जिला खरगोन
	4	निमाड अंचल नेत्रहीन संघ खण्डवा
	5	स्वयं सिद्धा शिक्षण समिति खण्डवा
भोपाल	6	उमंग गोरव दीप वेलफेर सोसायटी 111, अराधना नगर कोटरा भोपाल
	7	उमीद शिक्षण समिति विशेष स्कूल, जिला विदिशा
	8	अर्पण बहुउद्देश्यीय शिक्षण समिति जिला वैतूल
	9	डॉ. एनीबिसेन्ट मानसिक निःशक्त स्कूल / छात्रावास होशंगाबाद
	10	संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित (दृष्टिबाधित) विद्यालय होशंगाबाद
उज्जैन	11	भविष्य मानसिक निःशक्त विशेष विद्यालय जिला होशंगाबाद
	12	अपंग सेवा आश्रम जिला उज्जैन
	13	रेडक्रास मूक बधिर विद्यालय एवं आवासीय छात्रावास जिला नीमच
जबलपुर	14	मालवा कौसिल फार सोशल वर्क देवास
	15	शुभम निःशक्त तकनीकी विद्यालय, छिंदवाड़ा
	16	महर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिला नरसिंहपुर
	17	स्वावलंबन विकलांग पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान कटनी
	18	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिंझरी कटनी
ग्वालियर	19	भारतीय रेडक्रास सोसायटी श्रवण बाधितार्थ विद्यालय कटनी
	20	आत्म ज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय जिला ग्वालियर
	21	अजय मेमोरियल चेरिटबल ट्रस्ट अनामय आश्रम दतिया
	22	मानव जन कल्याण संस्था शिवपुरी शाखा झांसी रोड दतिया
	23	गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति, जिला श्योपुर
रीवा	24	बजरंग शिवम शिक्षा प्रसार समिति मेहगांव, जिला भिण्ड
	25	स्नेह सदन वेलफेर सोसायटी पतेरी सतना
	26	जय मॉ कालिका विकलांग विशेष आवासीय विद्यालय सिंगरौली

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम

क्रमांक	जिले का नाम	सरल क्र.	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	1	“आसरा” वृद्धाश्रम गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल
		2	“आनंदधाम वृद्धाश्रम” सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल,
		3	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विश्वस्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल
		4	“अपना घर वृद्धश्रम” बी-4-79, आई0आई0टी0 कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल
2	होशंगाबाद	5	“वृद्धाश्रम पिपरिया” मुख्य नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित बस स्टेण्ड, पिपरिया जिला होशंगाबाद
		6	“आसरा वृद्धाश्रम” वान्या ढावा के सामने बुधनी जिला होशंगाबाद
		7	“वृद्धाश्रम इटारसी” रामवृद्ध जन कल्याण समिति जिला होशंगाबाद
3	रायसेन	8	“महात्मा गांधी वृद्धाश्रम” अशा.संस्था आर.डी.एस.,सिलवानी द्वारा संचालित जिला रायसेन
4	बैतूल	9	“मातोश्री शिशु-वृद्धजन सेवाधाम” विशाल सतपुड़ा उत्थान समिति ग्राम उड्डन, पोर्स्ट बाक्स नं. 27-भारत भारती जिला- बैतूल
5	विदिशा	10	“वृद्धाश्रम गंजबासौदा” फोरम फार इन्वायरमेंट एण्ड इकोनामिक फीड गंजबासौदा
6	हरदा	11	“वृद्धाश्रम हरदा”, जिला हरदा
7	ग्वालियर	12	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज ग्वालियर
		13	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, के-48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर
8	श्योपुर	14	“गणराज वृद्धाश्रम” अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर
		15	“वृद्धाश्रम कराहल” गौरी शंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति जिला श्योपुर
9	गुना	16	“अपना घर वृद्धाश्रम” अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, नानाखेड़ी, जिला- गुना
10	भिण्ड	17	“वृद्धाश्रम भिण्ड” अशा. संस्था—मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, गली नम्बर 2 जमना रोड, जिला भिण्ड
		18	“वृद्धाश्रम” श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तहसील लहार, जिला भिण्ड
		19	“बॉके बिहारी वृद्धाश्रम” श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड
		20	“मॉ गजानन वृद्धाश्रम” मॉ गजानन शिक्षा समिति मौ जिला भिण्ड
11	मुरैना	21	“शासकीय वृद्धाश्रम” कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना
12	अशोकनगर	22	वृद्धाश्रम अशोक नगर” फोरम फार इन्वायरमेंट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड, मगरदा चौराहा, जिला अशोकनगर
13	इन्दौर	23	“आस्था वृद्धाश्रम” अशा0संस्था कल्याण मित्र समिति समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिली इन्दौर
		24	अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इन्दौर
		25	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, 1/1 छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर

क्रमांक	जिले का नाम	सरल क्र.	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
14	धार	26	“वृद्धाश्रम, धार” भारतीय रेडक्रास सोसायटी-धार द्वारा संचालित इंदौर नाका, जिला धार
15	बुरहानपुर	27	“वृद्धाश्रम, बुरहानपुर” अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित जिला बुरहानपुर
16	खरगौन	28	“आनंद बसेरा वृद्धाश्रम” नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन
		29	“आशा निकेतन वृद्धाश्रम”खलबुजुर्ग,कसरावद, जिला खरगौन, म0प्र0
17	बडवानी	30	“वृद्धाश्रम बडवानी” आशाग्राम ट्रस्ट बडवानी
18	खण्डवा	31	“वृद्धाश्रम” अशा.संस्था श्री वैष्णव वृद्धाश्रम आश्रम शांति निकेतन औंकारेश्वर में संचालित जिला— खण्डवा,
19	उज्जैन	32	“सेवाधाम वृद्धाश्रम” अशा.संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, ग्राम अम्बोदिया तह0 घटिया, जिला— उज्जैन
20	मंदसौर	33	“वृद्धाश्रम” भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर
21	देवास	34	“बसेरा वृद्धाश्रम” जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित राजोदा रोड, जिला देवास मध्यप्रदेश।
22	रतलाम	35	“वृद्धाश्रम” बिरयाखेडी “ भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बिरयाखेडी जिला रतलाम
23	नीमच	36	“वृद्धाश्रम नीमच” भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच
24	सागर	37	“आनंद वृद्धाश्रम” भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित खुरई जिला सागर, म0प्र0
		38	गोपाल सेवा वृद्धाश्रम, गढ़ाकोटा, जिला सागर देव सर्वोदय समिति, द्वारा संचालित जनपद पंचायत रहली जिला सागर
25	दमोह	39	“वृद्धाश्रम दमोह” भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह
26	छतरपुर	40	“दर्शना वृद्धाश्रम” अशा. संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर
		41	‘मॉ भावती वृद्धाश्रम’ अशा.संस्था—मां भगवती महिला मंडल,घुवारा, तहसील बडामलहरा,जिला छतरपुर
27	निवाड़ा	42	“रामराजा वृद्धाश्रम” अशा0 संस्था— आर0एस0 शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आरेछा में संचालित आरेछा, जिला टिकमगढ
28	पन्ना	43	“ऑचल वृद्धजन सेवा सदन” अशा. संस्था श्रीराम असाहजन चैरीटेबल सोसायटी अजयगढ़ जिला पन्ना
29	जबलपुर	44	“आश्रम आनन्द भवन” मिशनरीश ऑफ चारिटी मदर टेरेसास आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, कॉचघर, जबलपुर 482001
30	छिन्दवाडा	45	‘गोधुली वृद्धाश्रम’ नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित लोनियाकरबल, जिला छिन्दवाडा
31	नरसिंहपुर	46	“जगतगुरु शंकराचार्य वृद्धाश्रम” आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला—नरसिंहपुर
32	कटनी	47	“बच्चन नायक वृद्धाश्रम” ग्राम कछगंवा, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी
33	बालाघाट	48	“सहारा वृद्धाश्रम”, जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं0 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
34	सिवनी	49	“वृद्धाश्रम सिवनी” वृद्धाश्रम विकास समिति सिवनी जिला सिवनी
35	रीवा	50	“वृद्धाश्रम” भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा रीवा
36	सीधी	51	“गोपालदास आश्रम” गोपालदास सार्वजनिक कल्याण समिति, मणिकूट सीधी, जिला— सीधी

क्रमांक	जिले का नाम	सरल क्र.	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
37	सतना	52	वृद्धाश्रम प्रमोदवन आनंदधाम, कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, सतना
		53	वृद्धाश्रम, मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, मैहर, जिला—सतना
		54	“चन्द्राश्रय वृद्धाश्रम” डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना
		55	“वृद्धाश्रम” मॉडल शिक्षा समिति, वीरसिंहपुर, सतना
		56	“वृद्धाश्रम उचेहरा” श्री प्रभाजन कल्याण समिति सतना
		57	“वृद्धाश्रम अमिरिती” दुर्गा वृद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत अमिरिती पोस्ट देवरा, ज.प. मझगंवा, सतना
38	शहडोल	58	“वृद्धाश्रम” भारत विकास परिषद, कल्याणपुर, जिला शहडोल
39	सिंगरौली	59	“वृद्धाश्रम” जय मां कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, विंखंड० देवसर, जिला सिंगरौली
40	अनूपपुर	60	“कल्याण वृद्धाश्रम” ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनुपपुर (शासन द्वारा संचालित)
41	आगर मालवा	61	“अपना घर वृद्धाश्रम” तथागत समाज कल्याण समिति न्यू विवेक नगर थाटीपुर ग्वालियर
42	अलीराजपुर	62	“वृद्धाश्रम” जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग
43	मण्डला	63	“वृद्धाश्रम” भारतीय रेडक्रास सोसायटी मण्डला

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम (केन्द्रीय अनुदान)

क्रमांक	जिले का नाम	वृद्धाश्रम एवं संचालन करने वाली संस्था का नाम
(1)	(2)	(4)
1	इन्दौर	“श्री गणेश बुजुर्ग आश्रम” अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान 3/4 वृदावन कालोनी इन्दौर जिला इन्दौर (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
2	विदिशा	“श्री हरि वृद्धाश्रम” अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो—रूम के पास, जिला विदिशा
3	रीवा	‘निवेदिता वृद्धाश्रम’ अशा.संस्था निवेदिता कल्याण समिति, जय भारत नगर, लालगंव रीवा (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
4	खण्डवा	‘दादा जी वृद्धाश्रम’ सोसायटी फार मेक्सीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रुरल टेक्नोलॉजी खण्डवा
5	सीहोर	‘संकल्प वृद्धाश्रम’ अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित जिला सीहोर
6	राजगढ़	‘आशाधाम वृद्धाश्रम’ अशासकीय संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र जिला राजगढ़
7	भिण्ड	‘बालाजी वृद्धाश्रम’ गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड
8	बालाघाट	‘सहारा वृद्धाश्रम’ पीपरटोला (विरसा) जिला नशामुक्त अभियान संगठन, वार्ड नं० 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
9	जबलपुर	‘वृद्धाश्रम बाजनामठ’ भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर
10	भोपाल	‘यशोदा वृद्धाश्रम’ अशासकीय संस्था नैलौर शिक्षा समिति भोपाल
11	शिवपुरी	‘वृद्धाश्रम शिवपुरी’ अशा.संस्था मंगलम—शिवपुरी वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोट्ट रोड, जिला शिवपुरी
12	बैतूल	नवोदित ग्रामोत्थान महिला एवं बाल विकास समिति चौपना जिला बैतूल
13	दमोह	सोसायटी फार मैग्जीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रुरल टेक्नोलॉजी खण्डवा शाखा दमोह

**भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान प्राप्त
संचालित संस्थाएँ नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों (IRCA) की सूची**

क्रमांक	जिला	स्वैच्छिक संस्था व संचालित केन्द्र का नाम
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर “आर्शीवाद नशामुक्ति” केन्द्र मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर
2	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, उज्जैन “जागृति नशामुक्ति केन्द्र” नगर निगम उप कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्रीगंज, उज्जैन
3	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच नशामुक्ति केन्द्र ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
4	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल “नव ज्योति नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र” अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
5	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
6	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् होमगार्ड आफिस के पास पन्ना
7	सिवनी	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट शाखा जयरथ नाका ईश्वर नगर सिवनी (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
8	विदिशा	अजन्ता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति 53 सॉची मार्ग देवी का वाग के सामने विदिशा
9	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड
10	खण्डवा	सोसायटी फार मेंजीमाइजिंग एग्रीकल्वर एण्ड रूरल टेक्नोलाजी खण्डवा (10 धनवंतरी नगर केसर होटल के सामने जसवाडी रोड खण्डवा)
11	इन्दौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र संस्कृति रायल पार्क कनुप्रिया नगर राउ इन्दौर)
12	बडवानी	आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी (नशामुक्ति केन्द्र आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी)
13	इन्दौर	सदभाव मिशन समिति शाखा इन्दौर, (नशामुक्ति केन्द्र) म.नं. 647 ए, महालक्ष्मी नगर मेनरोड नियर बाम्बे हास्पिटल इन्दौर 452010
14	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र “यशोदा कुंज” कस्बा सीहोर
15	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति रीवा, नशामुक्ति केन्द्र, सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवा
16	दमोह	स्वामी विवेकानन्द सामाजिक उत्थान शिक्षा निकेतन तह. पथरिया जिला दमोह (नशामुक्ति केन्द्र)
17	हरदा	पहल सामाजिक विकास संस्था वार्ड नं. 20 अवस्थी कम्पाउण्ड हरदा जिला हरदा (नशामुक्ति केन्द्र)
18	टीकमगढ़	आर.एस.शिक्षा समाज कल्याण समिति मंडलेश्वर कालोनी गली नं. 4 बाओ गोल क्वार्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (नशामुक्ति केन्द्र)
19	छिन्दवाड़ा	मातृ सेवा संघ छिन्दवाड़ा (नशामुक्ति केन्द्र तत्याटोपे वार्ड नं. 40 सोनी मोहल्ला लोनिया करबल छिन्दवाड़ा)
20	भोपाल	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, (नशामुक्ति केन्द्र एम. जी.एम. स्कूल के पास अवधपुरी भोपाल)

जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	ईमेल
1.	भोपाल	श्री आर.के. सिंह	0755	2540865	pswbho@mp.nic.in
2.	सीहोर	श्रीमती रचना बुधोलिया	07562	227039	pswseh@mp.nic.in
3.	रायसेन	श्रीमती संगीता जायसवाल	07482	222052	pswrai@mp.nic.in
4.	राजगढ़	श्री आर. पी. नायक	07372	255259	pswraj@mp.nic.in
5.	विदिशा	डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा	07592	234272	ddsjvid@mp.gov.in
6.	होशंगाबाद	श्रीमती प्रमिला वाईकर	07574	252283	pswhos@mp.nic.in
7.	बैतूल	श्री संजीव श्रीवास्तव	07141	234368	ddsj.betul@mp.gov.in
8.	हरदा	श्री कमलेश सिंह	07577	225193	pswhar@mp.gov.in
9.	इन्दौर	श्रीमती सुचिता तिर्की बेक	0731	2367214	pswind@mp.gov.in
10.	धार	श्री एन.एस.नरवरिया	07292	235810	pswdha@mp.nic.in
11.	खरगौन	श्री धर्मेन्द्र गागले	07282	235019	pswkhr@nic.in
12.	खण्डवा	श्रीमती अनुभा जैन	0733	2223229	pswkhd@mp.nic.in
13.	बड़वानी	श्री मगन सिंह कनेश	07290	222801	pswbar@mp.nic.in
14.	बुरहानपुर	श्रीमती हेमलता सोलकी	07325	242158	ddpsjbur@mp.gov.in
15.	झाबुआ	श्री दिनेश चंद्र वर्मा	07392	244285	pswjha@mp.nic.in
16.	अलीराजपुर	श्री अशोक जैन	07394	234405	ddsj.alirajpur@mp.gov.in
17.	उज्जैन	श्री सी.एल. पंथारी	0734	2510515	pswujj@nic.in
18.	देवास	श्री आर.के. जोशी	07272	254928	pswdew@mp.nic.in
19.	शाजापुर	सुश्री निशा मेहरा	07364	226783	pswshj@mp.nic.in
20.	रतलाम	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	07412	270428	ddsjrat@mp.gov.in
21.	मंदसौर	श्री पी.सी.वर्मा	07422	235203	pswmas@mp.nic.in
22.	नीमच	श्री संजय भारद्वाज,	07423	257053	psjnee@mp.gov.in
23.	आगर मालवा	श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर,	07362	259100	ddsj.agar@mp.gov.in
24.	ग्वालियर	श्री राजीव सिंह,	0751	2346967	pswgwa@mp.nic.in
25.	शिवपुरी	श्री सुबोध दीक्षित	07492	233640	pswshi@mp.nic.in
26.	गुना	श्रीमती सोनम जैन	07542	252202	pswgun@mp.nic.in
27.	दतिया	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	07522	237259	ddsjdatia@gmail.com
28.	मुरैना	श्री आर.के. गोस्वामी	07532	226990	pswmor@mp.nic.in
29.	भिण्ड	श्री एस.बी. शर्मा	07534	242568	ddsj-bhind@mp.gov.in
30.	श्योपुर	श्री रिशु कुमार सुमन	07530	220572	sj.sheopur@mp.nic.in
31.	अशोकनगर	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	07543	222461	psjash@mp.gov.in
32.	सागर	श्री राजेश पटेरिया	07582	223524	pswsag@nic.in
33.	दमोह	श्री आनंद कोपरिया	07812	222687	pswdam@mp.nic.in
34.	पन्ना	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी	07732	252058	pswpan@mp.nic.in
35.	छतरपुर	सुश्री प्रियांशी भवंर	07682	246517	ddsj.chhatarpur@nic.in
36.	टीकमगढ़	श्री आर.के. पस्तौर	07683	242383	pswtik@nic.in
37.	निवाड़ी	सुश्री मेघा तिवारी	-	-	ddsj.niware@mp.gov.in
38.	जबलपुर	श्री आशीष दीक्षित	0761	2625256	pswjab@mp.nic.in
39.	नरसिंहपुर	श्रीमती अंजना त्रिपाठी	07792	230412	pswnar@mp.nic.in
40.	छिन्दवाड़ा	श्री सुशील कुमार गुप्ता	07162	243426	pswchi@mp.nic.in
41.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	pswseo@mp.nic.in
42.	मण्डला	श्री एस.एस. मरावी	07642	223560	pswmal@mp.nic.in
43.	बालाघाट	श्रीमती आयुषी जैन	07632	240281	pswbal-mp@mp.gov.in
44.	डिण्डोरी	श्री पी.आर. टांडिया	07644	234841	pswdin@mp.gov.in
45.	कटनी	श्री गौरव पुष्प	07622	221250	pswkat@mp.nic.in
46.	श्रीका	श्री अनिल दुबे	07662	254095	pswrew@mp.nic.in
47.	सतना	श्री सौरभ सिंह	07672	224391	ddsjsat@mp.gov.in
48.	सीधी	श्री श्रेयस गोखले	07822	250282	pswsid@mp.nic.in
49.	सिंगरोली	श्री रवि मालवीय	-	-	ddsj-singrauli@nic.in
50.	शहडोल	श्री संतोष चौधरी	07652	245209	pswshd@mp.nic.in
51.	उमरिया	श्री जी.एस. टेकाम	07653	223027	ddsjuma@mp.gov.in
52.	अनूपपुर	श्री के.के. सोनी	07659	222699	psjanu@mp.gov.in